


**आदेश**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की गई है, तामिल पर्याप्त है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा चवा पटवार क्षेत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1168/269 रकबा 09.04 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा चवा पटवार क्षेत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1168/269 रकबा 09.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
 राजस्व विभाग  
 जिला बाडमेर

22.9.21

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक - 25.9.21

क्रमांक शीडर/2021/

प्रार्थी

बनाम

4977

अप्रार्थीगण

1 मांगीलाल पुत्र मोतीराम  
जाति लुहार निवासी चवा  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 सरूपा 2 बाबु 3 मंगला उर्फ मंगना पिसरान खेताराम  
4 सुजाना गोद पुत्र गिरधारी 5 बंशीलाल 6 पारसमल  
पिसरान चुनाराम 7 अशोक कुमार 8 चेतनराम पिसरान  
गोरधनराम 9 गुलाबचन्द 10 पारसमल 11 बाबुलाल  
पिसरान हजारी 12 रावताराम पुत्र नरसिंगाराम जाति  
लुहार निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक- 22.9.21

राजस्व आवेदन संख्या :- 156/2021

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चवा पटवार क्षेत्र चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1168/269 रकबा 09.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 25.9.21

क्रमांक :- शीडर/2021/

4977-4980

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मांगीलाल पुत्र मोतीराम जाति लुहार निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सरूपा पुत्र खेताराम वगैराह जाति लुहार निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर